आदेश की क्रम सं0 और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ 3

न्यायालय, समाहर्त्ता, पश्चिम चम्पारण, बेतिया

वाद संख्या–सी0आर0एम0–08 / 13–14

सतीश कुमार यादव

बनाम

सरकार

आदेश

07.04.2015

प्रस्तुत वाद अपीलकर्ता सतीश कुमार यादव वल्द सुग्रीव प्रसाद यादव ग्राम–विक्रमपुर प्रखंड–नरकटियागंज द्वारा अनुज्ञापन पदाधिकारी–सह–अनुमंडल पदाधिकारी, नरकटियागंज के आदेश दिनांक 04.06.2013 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है जिसके द्वारा अपीलकर्ता के अनुज्ञप्ति संख्या–94 / 07 को तत्कालीक प्रभाव से रद्द किया गया है। अपील आवेदन पत्र पर उनके विज्ञ अधिवक्ता को सुना गया एवं अपील को सुनवाई हेतु अंगीकृत किया गया। अपीलकर्ता को सभी भंडार एवं वितरण पंजी दाखिल करने का निदेश दिया गया एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख की मांग की गयी। अनुमंडल पदाधिकारी, नरकटियागंज से अभिलेख प्राप्त हुआ है एवं अपीलकर्ता द्वारा भंडार पंजी एवं वितरण पंजी दाखिल की गयी है।

अनुज्ञापनपदाधिकारी–सह–अनुमंडलपदाधिकारी, नरकटियागंज के आदेश के अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, नरकटियागंज ने दिनांक 17.05.2013 को श्री सतीश कुमार यादव जन वितरण प्रणाली विक्रेता के दुकान के निरीक्षण के क्रम में निम्नांकित अनियमितता पायी गयी :–

1. कार्यावधि में बिना सूचना के दुकान बंद पाया गया।
2. बिक्री स्थल पर पुराना पीला सूचनापट्ट टांगना।
3. मूल्य एवं भंडार प्रदर्शन पट्ट नही टांगना।
4. अन्त्योदय एवं बी0पी0एल0 लाभूको के माह सितम्बर –12 से जनवरी–2013 तक खाद्यान्न की आपूर्ति नही

आदेश की क्रम सं0 और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ 3
	करना तथा भुगतान शुदा कूपन कार्यालय में जमा नही करना। 5. किरासन तेल एवं खाद्यान्न की कीमत अधिक लेना। अनुमंडल पदाधिकारी, नरकटियागंज द्वारा बिक्रेता से कारण पृच्छा की मांग की गयी। लेकिन उनके द्वारा कारण पृच्छा दाखिल नही की गयी। अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा आदेश में उल्लेंख किया गया है कि जन वितरण प्रणाली विक्रेता द्वारा कारण पृच्छा दाखिल नही की गयी है, साथ ही सार्वजनिक जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण) संशोधन 2001 के प्रावधान के अंतर्गत अनुज्ञप्ति के शर्तो, कर्तव्यो, उच्चाधिकारियों तथा पदाधिकारियों के आदेश का उल्धंन है। अतः उपरोक्त अनियमितता के अलोक में श्री सतीश कुमार यादव, जन वितरण प्रणाली विक्रेता ग्राम विक्रमपुर पंचायत राज तुमकड़िया प्रखंड–नरकटियागंज की अनुज्ञप्ति संख्या–94/2007 को तत्कालीक प्रभाव से रद्द कर दिया गया है। अपीलकर्ता द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, नरकटियागंज के आदेश के विरूद्ध अपने पक्ष में निम्नांकित तर्क दिया गया है :– 1. पहले आरोप के संबंध में कहा गया है कि वे विभिन्न प्रकार के पंजियों पर प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, नरकटियागंज के हस्ताक्षर लेने हेतु गये हुए थें, जिसके कारण दुकान बंद थी। 2. दूसरे आरोप के संबंध में कहा गया है कि बिक्री स्थल पर लगाया गया सूचनापट्ट पुराना था लेकिन इस पर दर्ज सूचना अद्यतन थी। बाद में निदेशानुसार सूचनापट्ट को बदल दिया गया है। 3. तीसरे आरोप के संबंध में कहना है कि जब वे नरकटियागंज गये तो दूकान खुलने के पहले सामग्रियों का भंडारण एवं मूल्य सूचनापट्ट पर अंकित कर दिये थे	

आदेश की क्रम सं0 और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ 3

लेकिन दूकान बंद कर नरकटियागंज प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के हस्ताक्षर लेने गये तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से सूचनापट्ट को दूकान के अंदर रख दिये।

चारो आरोप के संबंध में कहा गया है कि वे खाद्यान्न की आपूर्ति जनवरी–2013 तक कर दिये थे एवं भुगतान शुदा कूपन को प्रखंड कार्यालय में जमा कर दिये थे और उनका पावती रसीद भी प्राप्त किया है।

पाँचवे आरोप के संबंध में कहा गया है कि किरासन तेल एवं खाद्यान्न का वितरण उन्होने सरपंच/मुखिया एवं वार्ड सदस्य के समक्ष और उनके देख रेख में किये है जिस स्थिति में लाभूको से अधिक कीमते लेने एवं कम किरासन तेल एवं खाद्यान्न वितरण करने का प्रश्न ही नही उठता है। उनका यह भी कहना है कि मुखिया/सरपंच एवं वार्ड सदस्य द्वारा लिखित प्रमाण पत्र भी दिया गया है।

अतः उनका कहना है कि अनुमंडल पदाधिकारी, नरकटियागंज ने उनके द्वारा समर्पित दिनांक 04.06.2013 के कारण पृच्छा पर बिना विचार किये ही उनके अनुज्ञप्ति को रद्द कर दिया है। अपीलकर्ता द्वारा नैनामति देवी सरपंच ग्राम कचहरी राजपुर तुमकडिया द्वारा लिखित प्रमाण पत्र की छायाप्रति योजनावार राशन जमा कराने का प्रपत्र एवं चम्पा देवी, घाघना देवी, किशोरी देवी, सविता देवी, ललन महतो, बच्चन महतो, शिवमती देवी एवं सतन महतो द्वारा दिये गये शपथ पत्र को मूलरूप में दाखिल किया है। शपथकर्ताओं द्वारा शपथ पत्र दिया गया है कि जन वितरण दूकानदार सतीश कुमार यादव से सरकारी मूल्य पर खाद्यान्न एवं किरासन तेल लेते है एवं उन्हें उनके विरूद्ध कोई शिकायत नही है। उन लोगो का यह भी कहना है कि वे लालकार्ड धारी है उन्हें 10कि0ग्रा0 गेहूँ एवं 15कि0ग्रा0 चावल एवं 2.75लि0 किरासन तेल प्रत्येक माह में प्राप्त होता है।

अपीलकर्ता द्वारा बी0पी0एल0 एवं अंत्योदय का भंडार

आदेश की क्रम सं0 और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ 3
	एवं बिक्री पंजी सितम्बर–12 से फरवरी–13 तक मूल रूप में दाखिल किया गया है, जिसका अवलोकन किया गया। दोनो पक्षो के विज्ञ अधिवक्ताओं को सुना गया एवं अभिलेख में उपलब्ध तमाम कागजात का अवलोकन किया गया। अनुमंडल पदाधिकारी, नरकटियागंज द्वारा आदेश में उल्लेख किया गया है कि उनके पत्रांक 324/गो0, दिनांक 20.05.2013 से विक्रेता से कारण पृच्छा की मांग की गयी लेकिन उनके द्वारा कारण पृच्छा दाखिल नही की गयी जबकि अपीलकर्ता का कहना है कि उन्होने दिनांक 04.06.2013 को कारण पृच्छा अनुमंडल पदाधिकारी को दिया था लेकिन उन्होने बिना उनके कारण पृच्छा में विचार किये उनके अनुज्ञप्ति को रद्द कर दिया। प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, नरकटियागंज के समक्ष जिन व्यक्तियों ने अपीलकर्ता के विरूद्ध बयान दिया था उनलोगो ने शपथ पत्र के द्वारा अपीलकर्ता के विरूद्ध कोई शिकायत नही बताया हैं। उपरोक्त विवेचित तथ्यों से स्पष्ट होता है कि अनुज्ञापन पदाधिकारी–सह–अनुमंडल पदाधिकारी, नरकटियागंज द्वारा जन वितरण प्रणाली के विक्रेता द्वारा अपने स्पष्टीकरण में उठाये गये बिन्दुओं पर विचार नही किया गया है। अतः अनुमंडल पदाधिकारी, नरकटियागंज को यह वाद इस निदेश के साथ रिमांड किया जाता है कि वे अपीलकर्ता द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण में उठाये गये बिन्दुओं का सत्यापन कर उसकी विवेचना करते हुए मुखर आदेश पारित करें। आदेश की प्रति के साथ अभिलेख अनुज्ञापन पदाधिकारी– सह– अनुमंडल पदाधिकारी, नरकटियागंज को भेजें। लेखापित एवं संशोधित। जिला दण्डाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया 07/5/15 जिला दण्डाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया 07/5/15	